संशोधन

संख्या : 103/2016/1405/छप्पन-2016-93/2014

प्रेषक,

डा0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 05 दिसम्बर, 2016

विषय :वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या- 38 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष के इंगित मद से पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि के व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 420/ना0उ0नि0/लेखा/पुनर्विनियोजन/16, दिनांक 14-10-2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या- 80/2016/1123(2)/छप्पन-2016-93/2015, दिनांक 03-10-2016 एवं प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) से सम्बन्धित आदेश संख्या- 79/2016/1123/छप्पन-2016-93/2015, दिनांक 03-10-2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनर्विनियोग से सम्बन्धित आदेश दिनांक 03-10-2016 बी0एम0-9 भाग-1 के लेखा शीर्षक- "2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय के मानक मद-06-अन्य भत्ते" के कॉलम -2 में इंगित धनराशि रूपये 41400 हजार के स्थान पर रूपये 41500 हजार, कालम-3 में अंकित रूपये 41400 हजार के स्थान पर रूपये 1650 हजार एवं कालम-6 में रूपये 39750 हजार के स्थान पर रूपये 39850 हजार और तदनुसार ही योग की पंक्ति के कॉलम -2 में इंगित धनराशि रूपये 41400 हजार के स्थान पर रूपये 41500 हजार, कालम-3 में अंकित रूपये 41400 हजार के स्थान पर रूपये 1650 हजार एवं कालम-6 में रूपये 39750 हजार के स्थान पर रूपये 39850 हजार संशोधित समझी जाय। उक्त पत्र संख्या- 79/2016/1123/ छप्पन-2016-93/2015, दिनांक 03-10-2016 द्वारा विनिर्दिष्ट पुनर्विनियोग विषयक प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1, जो त्रुटिपूर्ण है, को संलग्नकानुसार संशोधित समझा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-1070/दस-2016, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त।

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

पृ0सं0 : 103/2016/1405(1)/छप्पन-2016-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।